

न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार (आरएस)
जी.सी.एम.एस. नं.:- 2025/367

- 1 मोहनराम
 - 2 अन्नाराम
 - 3 राधा
 - 4 गीता देवी पत्नी स्व कानाराम जाति खाती निवासी शेरें तहसील व जिला बीकानेर।
- पि. कानाराम जाति खाती निवासी शेरें तहसील व जिला बीकानेर।
- गीता देवी पत्नी स्व कानाराम जाति खाती निवासी शेरें तहसील व जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

—बनाम—

- 1 हीराराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी शेरें तहसील व जिला बीकानेर।
- 2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थिति:-

- 1 श्रीबहादुर राम सुथार (प्रार्थीगण की ओर से)
- 2 श्री सतपाल साहू (अप्रार्थी सं. 1 की ओर से)

—:निर्णय:-

दिनांक:-

1. प्रकरण के वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम आसेरा तहसील व जिला बीकानेर के पुराने खसरा नंबर 198/46 तादादी 25 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र तारूराम के नाम से स्थित थी व है। कानाराम जी का देहांत हो गया। वर्तमान जमाबंदी में उक्त पुराने खसरा नंबर 198/46 के नये खसरा नंबर 37 में 1.0300 हैक्टर व खसरा नंबर 92 में 2.4800 हैक्टर कुल 3.5100 हैक्टर अन्नाराम पुत्र कानाराम का हिस्सा 1/4, गीता देवी पत्नी स्व. कानाराम हिस्सा 1/4 मोहनराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/4 व राधादेवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/4 जाति खाति निवासी शेरें जरिये नामांतरण संख्या 636 के विरासतन दिनांक 22.03.2021 के दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति 60 वर्षों से कब्जा व काश्त है। मौके पर तारबन्दी की हुई है तथा पानी की कुंडी व झोंपडा बना हुआ है। प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु उपरांत प्रार्थीगण का आज भी मौके पर कब्जा व काश्त

र. क. कलक्टर
बीकानेर शहर

है। प्रार्थीगण का पुश्तैनी खेत खसरा नंबर 198/46 में तादादी 25 बीघा 15 बिस्वा था जो जमाबंदी संवत 2037 से 40 के खाता संख्या 22 में दर्ज शुदा है। उक्त कृषि भूमि के उत्तरी सिंव पर से पक्की सडक हेतु 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि सडक से अवाप्त हुई शेष 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त ग्राम का सेटलमेंट संवत 2056 से 58 में हुआ जिसमें सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकार से बाहर जाकर प्रार्थीगण के पुराने खेत के 2 टुकडे कर दिये। एक टुकड़ा पुराना खसरा नंबर 198/46 मीन नया खसरा नंबर 37 में तादादी 1.03 हैक्टयर का खेत सडक से उत्तर दिशा राजस्व नक्शा में जमा दिया तथा दूसरा टुकड़ा पुराने खसरा 198/46 का नया खसरा नंबर 92 में तादादी 2.48 हैक्टयर राजस्व नक्शा में सडक के दक्षिण दिशा में जमा दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का सम्पूर्ण खेत तादादी 23 बीघा 7 बिस्वा सडक के दक्षिण दिशा में था वहीं पर प्रार्थीगण का कब्जा व कास्त है। सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थीगण का 1.03 हैक्टयर भूमि को प्रार्थीगण के चिपते अप्रार्थीगण संख्या 1 के खेत के नक्शे में अपने अधिकारिता से परे जाकर के फिटिंग कर दिया है। जिसके फलस्वरूप अप्रार्थीगण संख्या 1 के मन में लालच आ गया कि उक्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा किये गये उक्त गलत फिटिंग का फायदा उठाकर प्रार्थीगण की कीमती जमीन पर कब्जा कर लेवे इसलिए प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड व कब्जा काश्त के खसरा नंबर में भिन्नता है। लिहाजा ग्राम आसेरा के पुराने खसरा नंबर 198/46 की तादादी 25 बीघा 15 बिस्वा का प्रार्थीगण का एकल खेत था जिस पर प्रार्थीगण का 60 सालों से कब्जा व काश्त है। जब तक उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती न हो तब तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण के अपने कब्जा काश्त की पुराने खसरा नंबर 198/46 की तादादी 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि से जबरन बेदखल न करे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 03.06.2022 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर ग्राम आसेरा के खेत खसरा नंबर 198/46 तादादी 25 बीघा 15 बिस्वा के मौका की यथास्थिति नियत रखने बाबत न्यायालय द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

3. अप्रार्थी संख्या 1 हीराराम की ओर से अभिभाषक श्री सतपाल सहू द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें वर्णित कथन इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके रोही आसेरा बीकानेर की हाल खसरा नंबर 93 तादादी 5.9300 हैक्टर , खसरा नंबर 582/91 तादादी 1.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 583/92 तादादी 2.3200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 631/178 तादादी 4.1050 हैक्टर कुल किता 4 तादादी 13.7650 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा व काश्त है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 37 तादादी 1.03 हैक्टर, खसरा नं. 92 तादादी 2.42 हैक्टर कुल तादादी 3.51 है, जबकि प्रार्थीगण खसरा नं 92 की दक्षिणी सींव को काटकर जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 1 की सींव पर स्थित एवं खसरा नंबर 582/92 में कब्जा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के खेत में से सड़क का निर्माण होना एवं भूमि अवाप्त की जाकर मुआवजा दिये जाने से प्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से अधिक पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त ग्राम आसेरा तहसील बीकानेर में भूप्रबंध से पूर्व खाम (कच्चा) बीघा में भूमि स्थित थी इसलिए प्रार्थीगण ने हाल खसरा नंबर की बजाय गत खसरा नंबर की 23 बीघा 7 बिस्वा पर स्थगन की मांग की है क्योंकि खसरा नंबर 198/46 तादादी 27 बीघा 7 बिस्वा की दौराने भूप्रबंध खसरा नंबर 37 तादादी 1.03 हैक्टर एवं खसरा नंबर 92 तादादी 2.48 हैक्टर कुल तादादी 3.51 हैक्टर की बनते हैं। जिसे जानबूझ कर छुपाते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक अप्रार्थी संख्या 1 वरखिलाफ प्रार्थीगण इस अमर की जावे कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में न तो स्वयं प्रवेश करे ना ही किसी अन्य को प्रवेश करावे।

4. बहस प्रार्थना-पत्र 212 आरटीए सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण वर्षों से दक्षिणी सींव में खेत का कब्जा काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण का कब्जा सेटलमेंट के पूर्व के हिसाब से है। सेटलमेंट होने से पुराना खसरा 198/46 के दो टुकड़े कर दिए गए जिसमें एक टुकड़ा पुराने खसरा नं. 198/46 नए खसरा नं. 37 तादादी 1.03 हैक्टर सड़क से उत्तर दिशा में व दूसरा टुकड़ा नए खसरा नं. 92 तादादी 2.48 हैक्टर

अभिभाषक कलक्टर
बीकानेर शहर

सड़क से दक्षिण दिशा में जमा दिया गया वहीं प्रार्थीगण का सम्पूर्ण खेत सड़क के दक्षिण दिशा में था। प्रार्थीगण द्वारा मौका कमीशनर नियुक्त के लिए निवेदन किया गया था कि अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की है, प्रार्थीगण का पिछले 60 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है अतः श्रीमान जी मूल दावा जैरकार है सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खेत के दो टुकड़े कर दिए गए अपितु प्रार्थीगण का सम्पूर्ण खेत सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है, दावे के निस्तारण तक पूर्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कायम रखी जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (23) 2016 पृष्ठ 468 पेश किया गया।

इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है कि प्रार्थना पत्र 212 से संबंधित तीनों बिंदुओं का विवेचन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे अतः श्रीमान जी दोनों खेत अलग-अलग है जिसका मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया गया है। वादी द्वारा चाही गयी रिलीफ भी हाल खसरा नम्बर में नहीं होकर गत खसरा नं. 198/46 बाबत है। गत खसरा नं. 198/46 भूमि में से सड़क में अवाप्त हुई है, शेष प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब काउण्टर भी पेश किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि से सड़क अवाप्त होने उपरांत 23 बीघा 8 बिस्वा खाम भूमि के 3.4711 हैक्टर बनते हैं जबकि प्रार्थीगण के नाम से 3.5100 हैक्टर भूमि दर्ज की गई जिसे छिपाते हुए गत खसरा नंबर पर मांग की है तथा प्रार्थीगण खसरा नं 92 की दक्षिणी सीव को काटकर जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 1 की सीव पर स्थित एवं खसरा नंबर 582/92 में कब्जा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन आदेश खारिज फरमाई जावे व अस्थायी निषेधाज्ञा बहक अप्रार्थी संख्या 01 वरखिलाफ प्रार्थीगण इस अमर जारी की जावे की प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में दखलअंदाजी नहीं करे।


5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संदर्भ में तीन बिंदु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षर्ति पर विचार किया जाना है।



सहायक कलक्टर
वीकानेर शहर

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखिय स्थिति यह है कि वादगत कृषि भूमि ग्राम आसेरां तहसील व जिला बीकानेर के पुराने खसरा नंबर 198/46 तादादी 25 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज रही है तथा गत खसरा नं. 198/46 भूमि में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि सड़क मे अवाप्त होने से खसरा नंबर 198/46 में शेष रही भूमि तादादी 23 बीघा 7 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही है तथा उक्त ग्राम का सेटलमेंट होने उपरांत वादगत भूमि के गत खसरा नंबर 198/46 मीन के नवीन खसरा नंबर 37 में तादादी 1.03 हैक्टर व खसरा नंबर 92 में तादादी 2.48 हैक्टर कुल तादादी 3.5100 हैक्टर कायम हुए तथा प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम जी का देहांत होने उपरांत वर्तमान में खसरा नंबर 37 में 1.0300 हैक्टर व खसरा नंबर 92 में 2.4800 हैक्टर कुल 3.5100 हैक्टर अन्नाराम पुत्र कानाराम का हिस्सा 1/4, गीता देवी पत्नी स्व. कानाराम हिस्सा 1/4 मोहनराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/4 व राधादेवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/4 जाति खाति निवासी शेरेरां जरिये नामांतरण संख्या 636 के विरासतन दिनांक 22.03.2021 के दर्ज रिकॉर्ड है तथा ग्राम आसेरा, बीकानेर के खसरा नंबर 582/92 तादादी 1.9500 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।


7. अधिनियम की धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र में मूल घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णिय क्षति पर ही मुख्य रूप से विचार किया जाना है। प्रकरण में वादगत भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है, सेटलमेंट के दौरान वादगत नवीन खसराओं का सृजन हुआ है। प्रार्थीगण


सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए से संबंधित मूल वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीए व 136 एलआरए जैरकार है जिसमें यह अनुतोष चाहा गया है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थीगण के पुराने खेत खसरा नंबर के 2 टुकड़े कर दिये गए जिसे उसके कब्जे काशत अनुसार दुरुस्त किये जाने बाबत चाहा गया है। वादगत खसरा नंबर 92 व 37 तादादी 3.5100 हैक्टर पर प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है, उसी अनुसार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान के मध्य खसरा नंबर 92 व 582/92 के मध्य सीव, कब्जे संबंधी विवाद्यक विद्यमान है, खसरा नंबर 582/92 तादादी 1.9500 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विद्यमान विवाद्यक का निस्तारण वादपत्र में गुणावगुण रूप से तनकियात, साक्ष्य उपरांत विवेचना की जानी है तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दृष्टांत आर.बी.जे. (23) 2016 पृष्ठ 468 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि-


"RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-Section 212-It is the established basic principal that the property in dispute to be preserved till final decision of the case." अतः ऐसे में वादग्रस्त भूमि का निस्तारण किए जाने की स्थिति तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि आगे नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में बहुविवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि न्यायोचित नहीं है तथा हमारे मत में वादगत भूमि को संरक्षित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये


जिलाधिकारी
बीकानेर शहर

अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि ग्राम आसेरा के गत खसरा नंबर 198/46 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 92 तादादी 2.4800 हैक्टर व खसरा नंबर 37 तादादी 1.0300 हैक्टर कुल तादादी 3.5100 हैक्टर व ग्राम आसेरा, बीकानेर के खसरा नंबर 582/92 तादादी 1.9500 हैक्टर भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल प्रकरण दावा के निस्तारण तक यथावत बनाए रखे व वादगत भूमि बाबत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व बीकानेर को प्रेषित की जावे।
आदेश आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।




(रणजीत कुमार)
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर